



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9589

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42514 / 2025

अभय उर्फ अज्जू उर्फ विमल सिंह.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रतिवादी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : ज्ञानेंद्र कुमार मिश्र, जीतेंद्र प्रसाद मिश्र

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया।

यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत दाखिल किया गया है, जिसमें उसे पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला महोबा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 373/2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) और आयकर अधिनियम की धारा 66-ग तथा खान अधिनियम की धारा 4/21 के तहत जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फंसाया गया है और वह 9 सितंबर 2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त राजा बाबू वर्मा और विकास राजौरिया को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2025 और 8 दिसंबर 2025 के आदेशानुसार आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 40097/2025 और 41274/2025 में जमानत पर पहले ही रिहा किया जा चुका है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक का दो अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वे उपर्युक्त तथ्य पर विवाद नहीं कर सके।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, लेकिन मामले के गुणागुण पर टिप्पणी किए बिना, यह जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अतः अभियुक्त - आवेदक **अभय उर्फ अज्जू उर्फ विमल सिंह**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक नियत तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भी भंग होने की स्थिति में, निचली अदालत उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

14 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।